

(5)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012 निगरानी — R-4204-II/12

1. हरदास तनय श्रीजगता अहिरवार आयु 70 वर्ष
2. खचौरे तनय श्रीजगता अहिरवार दोनों निवासीगण ग्राम छिपरी तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र.आवेदकगण

बनाम

1. ठाकुर राम तनय नथु अहिरवार
2. गोकल तनय नथु अहिरवार निवासीगण ग्राम छिपरी तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

.....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त लिथारा के प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/95-96 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2011 एवं उक्त आलोच्य आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी जिला टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील प्रकरण क्रमांक 38/अपील/2011-12 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2012 के।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

निगरानी के आधार -

1. यह कि, आवेदकगण द्वारा कृषि भूमि स्थित सर्वे क्रमांक 2/6 रकवा 2.00 एकड़ स्थित ग्राम छिपरी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा जऊवारी से क्रय की गयी थी। उसी समय अनावेदकगण द्वारा भी जऊवारी से उक्त सर्वे नं. 2/6 में से रकवा 0.405 हैक्टेयर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया गया।
2. यह कि, आवेदक एवं अनावेदकगण द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि को क्रय करने के पश्चात कोई बंटवारा नहीं हुआ था।
3. यह कि, अनावेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील जतारा के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत 350 म.प्र. भू राजस्व संहिता आवेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/85-86 पर पंजीबद्ध हुआ। उक्त आवेदन पत्र में अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 4204-दो/2012

जिला टीकमगढ़

हरदास आदि

विरुद्ध

ठाकुर राम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01-3-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 38/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18-10-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 2-5-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right"> सदस्य 01.3.19</p>